भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 2337

सोमवार, 15 दिसंबर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक)

एसएनए स्पर्श

2337. श्री अशोक कुमार रावत:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पेंशन प्रशासन प्रणाली (रक्षा) के अंतर्गत एकल नोडल एजेंसी 'एसएनए स्पर्श' को शुरू करने का उद्देश्य क्या है;

(ख) भुगतानों का समय पर जारी होना सुनिश्चित करने में यह कितनी उपयोगी है;

(ग) क्या एसएनए स्पर्श से राज्यों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए सरकार द्वारा जारी निधि का उपयोग करने में सहायता मिलने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो अब तक इस प्रणाली में कितनी योजनाएं शामिल की गई हैं और कुल कितने लेनदेन हुए हैं;

(ङ) क्या ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए), सिंगल नोडल एजेंसी (एसएनए), सेन्ट्रल नोडल एजेंसी (सीएनए) और एसएनए स्पर्श जैसी प्रणालियों के कार्यान्वयन से निधि प्रवाह तंत्र में सुधार हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) से (च): पेंशन प्रशासन प्रणाली - रक्षा (स्पर्श) अक्टूबर 2020 में शुरू की गई थी। यह एक 'डिजिटल इंडिया' पहल है जिसका उद्देश्य देश भर में रहने वाले सशस्त्र बल कर्मियों और रक्षा नागरिकों को पेंशन स्वीकृत करने और वितरित करने सहित रक्षा पेंशन के प्रबंधन के लिए एक व्यापक, पारदर्शी और कारगर समाधान प्रदान करना है। कुल 34.08 लाख रक्षा पेंशनभोगियों में से लगभग 31.69 लाख को रक्षा (स्पर्श) में पंजीकृत किया जा चुका है।

एसएनए-स्पर्श केंद्र और राज्य द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत आरबीआई के पीएफएमएस-स्टेट एफएमआईएस-ई-कुबेर के एकीकृत नेटवर्क के माध्यम से केंद्र और राज्य दोनों की समेकित निधियों से उचित समय पर निधि के प्रवाह को सक्षम बनाता है। एसएनए-स्पर्श योजना शुरू करने का उद्देश्य राज्यों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) निधियों के प्रवाह में पारदर्शिता बढ़ाना और उनके उपयोग की बेहतर निगरानी करना है। इसका उद्देश्य भारत की समेकित निधि और राज्यों की समेकित निधि के बाहर सीएसएस निधियों के प्रवाह को समाप्त करना भी है, जिससे सरकार की उधारी लागत कम हो। एसएनए स्पर्श ने राज्य कोषागारों द्वारा सीएसएस कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) को सीएसएस निधियों के केंद्र और राज्य के हिस्से के हस्तांतरण में होने वाली देरी को समाप्त कर दिया है। इस मॉडल के तहत धनराशि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा सीधे लाभार्थियों और विक्रेताओं के बैंक खातों में जारी की जाती है।

वर्तमान में, 31 राज्यों/ विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में 48 सीएसएस की 1744 एसएलएस को एसएनए स्पर्श में पंजीकृत किया गया है। इसके अलावा, 2025-26 में, 1,07,918 करोड़ रुपये की मातृ स्वीकृति जारी की गई है और एसएनए-स्पर्श के माध्यम से विभिन्न सीएसएस के तहत 9 दिसंबर, 2025 तक केंद्र के हिस्से का कुल 36,995 करोड़ रुपये जारी किया गया है। एसएनए स्पर्श, केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) मॉडल और ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) ने पारदर्शिता बढ़ाकर, प्रवाह को कम करके और केंद्र तथा राज्य की समेकित निधियों से समय पर निधियां जारी करने की सुविधा प्रदान करके केंद्र प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं के तहत निधियों के प्रवाह में सुधार किया है, जिससे नकदी प्रबंधन बेहतर हुआ है।

******